

कार्यालय— जनपद न्यायाधीशा, हाथरस।

नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय, हाथरस स्थित मुंसिफी परिसर से लगी रिवत भूमि को साईकिल स्टेण्ड, चाय कैन्टीन, फल-फूट, घाट-चबैना एवं तथाकू रहित पान की दुकान हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिये वार्षिक ठेके पर उठाया जाना है, जिस हेतु दिनांक 04.03.2017 दिन शनिवार समय दोपहर 1:30 बजे नियत है। इच्छुक व्यावित नीलामी में भाग लेने हेतु समय से केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय, हाथरस में उपस्थित हों। नीलामी से सम्बन्धित अधिक जानकारी, केन्द्रीय नाइर से प्राप्त की जा सकती है।

मेरे
५३-०३-२०१८
(अल्ला रख्खें खाँ)

प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय,
हाथरस।

कार्यालय- जनपद न्यायाधीश, हाथरस।

नीलामी की आवश्यक शर्तें :-

01. ठेके की बोली बोलने वाले को बोली बोलने से पूर्व बतौर जमानत धनराशि ₹० 20,000/- (बीस हजार) रुपये जमा करने होंगे। नीलामी की समाप्ति पर यदि उसके नाम ठेका नहीं छूटता है, तो जमानत धनराशि उस व्यक्ति को वापस कर दी जायेगी।
02. जिस व्यक्ति के हक में ठेका छोड़ा जायेगा, उसको नीलामी की समस्त धनराशि जमा करनी होगी। यदि वह समस्त धनराशि जमा नहीं करता है तो उसकी जमानत धनराशि जब कर ली जायेगी।
03. अधिकारम बोली बोलने वाले व्यक्ति के पक्ष में ठेका छोड़ा जायेगा।
04. ठेका की स्थीकृति का पूर्ण अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश का होगा।
05. किसी भी ठेकेदार को ठेके को बेचने का अधिकार नहीं होगा।
06. ठेकेदार पानी एवं विजली की व्यवस्था स्वयं करेगा।
07. प्रत्येक ठेकेदार को अपनी हैसियत का हैसियत ग्रामण पत्र दाखिल करना होगा।
08. ठेकेदारों को नीलामी की समस्त धनराशि तत्काल जमा करनी होगी, यदि उसके द्वारा ठेके की रातों का पालन न करते हुये समस्त धनराशि जमा नहीं करता है, तो उसकी जमानत धनराशि जब कर नीलामी की कार्यवाही पुनः की जायेगी।
09. प्रत्येक ठेकेदार को, जिसके नाम ठेका छोड़ा जायेगा, उसे नियमानुसार अच्छरटेकिंग देनी होगी।


(अल्ला रक्खें खी)
प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय,
हाथरस।